07/9/20 आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकारान उप० आये।
प्रार्थनापत्र के बाबत बहस उभय पक्षकारान की बहस
सुनी। दौराने बहस दौ० वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना-
पत्र के जरिये को [illegible] है कि विवादित आराजी ख० नं०
826 व अन्य आराजी [illegible] भूखण्ड [illegible] की काश्त
खातेदारी की आराजी [illegible] अपने जीवनकाल
में काश्त करता रहा है तथा विवादित आराजी व अन्य आराजीयात,
रिहायशी मकानात बाबत एक वसीयत/रजि० दिनांक 30/6/98

2/45

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.03.29 16:01:55 IST
Reason: SelfAttested

मैं तहरीर करता कि कोई तस्दीक कराविया था जिसके मुताबिक
मैं जबतक जिन्दा हूँ उक्त भूमि का मालिक रहूँगा तथा मेरी
मृत्यु के बाद मेरे तीनों पुत्रों का समान हिस्सा रहेगा तथा
मेरे किसी पुत्र के जानकारी के किसी पेपर पर अंगूठा करवालिए
हो तो वो निरस्त माना जावे, मैंने किसी पुत्र को कोई लिखकर
दिया हो तो वो भी निरस्त माना जावे। जवाब देते हुए विवादित
आराजी व अन्य आराजी पर प्रार्थिया व अप्रार्थी सं0 1 समान रूप
से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं तथा मुन्शीराम की
मौखिक वसीयत निरस्त कर देने के बाद हुई है। अभिकथन
करते हुए खसरा नं. के [illegible] अप्रार्थी सं0 1 को स्थाई
निषेधाज्ञा जारी किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने
का निवेदन रहा। वकील अप्रार्थी के [illegible] दोरान बहस
अभिकथन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र पूर्व में प्रस्तुत किया
जा चुका है तथा जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए
निवेदन किया कि विवादित आराजी ख0नं0 826 अप्रार्थी की
कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है प्रार्थिया का कोई लेना
देना नहीं है जिसके द्वारा वाद पत्र / प्रार्थना पत्र में अन्य ख0नं0
अंकित नहीं किये। प्रार्थिया ने झूठा शपथपत्र दिनांक 30/8/98
का बताया है जो फर्जी है जिस पर निष्पादन करता का कोई
नहीं है न ही निष्पादनकर्ता मुन्शीराम के हस्ताक्षर है न
ही किसी गवाह के हस्ताक्षर जिन्होंने प्रमाणित किया हो कि
हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी मेरे सामने किये है। मुन्शीराम हस्ताक्षरों
पर अंगूठा निशानी नहीं बल्कि अंग्रेजी के हस्ताक्षर करते
थे इस प्रकार दिनांक 30/6/98 का जो शपथ-पत्र बता
रहे हैं वह फर्जी व झूठा तथा किया हुआ है। विवादित आराजी
के बाबत इन्तकाल नं0 1899 दिनांक [illegible]
वसीयत दिनांक 26/6/92 के आधार पर सही दर्ज व [illegible]
मंजूर हुआ है इसका वसियत को [illegible] चैलेंज
करने का अदालत को [illegible]
व केन्सल करने का अधिकार नहीं बल्कि सिविल
कोर्ट को है। प्रार्थना पत्र संशोधन कार्य के बाद होकर
दावा, प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी को
अपूरणीय क्षति हो रही है तथा सुविधा का सन्तुलन भी

[signature]
उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ra...
Rajawat
Date: 2021.07.29 13:...
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहक... हुक्म की तामील में...

अप्रार्थी नं० 1 के पक्ष में है अभिकथन करते हुए प्रार्थनापत्र खारीज किये जाने का निवेदन रहा।

वकील उभयपक्षकारान की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली के प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन उपरान्त यह न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र, जवाब प्रार्थनापत्र एवं सुनी गई बहस के बहस इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रथम दृष्टया प्रकरण के बिन्दु को प्रार्थीगण के हक में नहीं पाकर अप्रार्थी नं० एक के पक्ष में साबित पाती है क्योंकि प्रथम दृष्टया प्रकरण का बिन्दु बहक अप्रार्थी साबित है तो सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के हक में नहीं होकर अप्रार्थी नं० एक के हक में स्पष्ट रूप से साबित पाया जाता है। जब प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन वाला बिन्दु दोनों बिन्दु ही अप्रार्थी नं० एक के हक में साबित पाये जाने की स्थिति में अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण कारित होकर अप्रार्थी नं० एक को ही होना स्पष्टरूप से साबित पाती है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विवादित आराजी ख० नं० 826 रकबा 0.28 हैक्टेयर वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) के बाबत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बाबत के तीनों बिन्दु विरूद्ध प्रार्थीगण होकर बहक अप्रार्थी नं० एक के हक में साबित पाये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है एवं [illegible] अन्तरिम कार्यवाही किये जाने के आदेश [illegible] जाते हैं। पत्रावली के तल मुकदमा हो/ बाद [illegible] हो। बाद तकमील मिसल मूल दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया।

[signature] 07.09.2020

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर)

Signature Not Ve
Digitally signed by Ra
Rajawat
Date: 2021.07.29 13:
Reason: Self Attested